# न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री एल0एन0 सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 06/2019/अपील/आर्म्स/बून्दी
दायरा दिनांक 20.05.2019
किस्म अपीलः धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959

उनवान

भूपेन्द्र कुमार श्रृंगी आत्मज देवराज श्रृंगी जाति ब्राहम्ण नि0 अकतासा थाना तालेडा जिला बून्दी

....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बून्दी (राज0)।

....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री रमेश कुमार कहार अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 18.11.2019

अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश संख्या 165 दिनांक 04.08.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन आदेश) से अप्रसन्न होकर यह अपील धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे प्रस्तुत की हैं।xx

1 प्रस्तुत अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा अपीलांट को स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 1374/न्याय/04जिस पर 32 बोर माउजर (रिवाल्वर) नं0 एफ जी 29747 धारित है जो दिनांक 31.12.2013 तक नवीनीकृत है को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण हेतु दिनांक 23.12.2013 को आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने नवीनीकरण के संबध मे जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक बून्दी ने जर्ये पत्रांक 1742 दिनाक 05.02.2014 से शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकृत नही किये जाने की अनुशंषा की गई। अपीलार्थी द्वारा पुनः दिनांक 25.02.2014 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया जिस पर पुनः जिला पुलिस अधीक्षक बून्दी द्वारा 10205 दिनांक 28.08.2014 से अनुज्ञाधारी के विरूद्व

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

मुकदमा नं. 17/2008 धारा 143,283,353 ता.हि. में दर्ज होकर न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.2.2014 से अभियोजन व्यय 50/–से दण्डित किया जाना अंकित करते हुए अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नही करने की अनुशंषा की गई जिसके कम में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी द्वारा जर्ये आदेश 76 दिनांक 13.05.2016 से अनुज्ञापत्र को निरस्त किया गया। जिसकी न्यायालय हाजा में अपील पेश की। जिसके निर्णय दिनांक 03.04.2017 द्वारा आदेश सं. 76 दिनांक 13.05.2016 को निरस्त करते हुए पुन सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे पुनः जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पत्रांक 5712 दिनांक 05.07.2017 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की अनुशंषा नही करने पर अनुज्ञापत्रधारी को पुनः सुना जाकर दिनांक 04.08.2017 को अनुज्ञापत्र सं0 1374/न्याय/2004 निरस्त किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि पारित आदेश पक्षकार के उचित गुणावगुण पर आधारित नही है। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पत्र कमांक 5712 दिनांक 5.7.17 मे वर्णित तथ्यों पर माननीय संभागीय आयुक्त द्वारा पूर्व मे ही अपील मे विचार किया जाकर निर्णय पारित किया जा चुका है इस कारण उक्त आदेश खारिज योग्य है। अपीलार्थी ने पत्र कमांक 3677 दिनांक 25.4. 2017 के जवाब मे प्रकरण सं0 17/2008 के निर्णय दिनांक 19.2.2014 द्वारा न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय तालेडा के बारे में लिखा गया उक्त प्रकरण में धारा 12 परीवीक्षा अधिनियम के तहत दोष सिद्वी से वर्तमान एवं भविष्य किसी भी सेवा के लिए अपात्र या अयोग्य नही होगा। जिला पुलिस अधीक्षक बून्दी की रिपोर्ट कमांक 5712 दिनांक 05.07.2017 से अपीलान्ट चाल–चलन व चरित्र से ठीक पाया गया । अपीलार्थी एक इज्जतदार एवं शरीफ व्यक्ति है जिसके विरूद्व आपराधिक, राजनैतिक गतिविधियो में शामिल होना नही पाया। उक्त तथ्य पर गोर किये बिना जेरअपील आदेश दिनांक 04.08. 2017 पारित कर दिया जो खिलाफ कानून, व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश दिनांक 04.08.2017 निरस्त कर अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को स्वीकार करने का आदेश प्रदान करने की इस्तादुआ की गई। xx

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।xx

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यो पर प्रकाश डालते हुये बहस मे बताया कि पारित आदेश पक्षकार के उचित गुणावगुण पर आधारित नही है क्योंकि पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पत्र कमांक 5712 दिनांक 5.7.17 मे वर्णित तथ्यों पर माननीय संभागीय आयुक्त द्वारा पूर्व मे ही अपील मे विचार किया जाकर निर्णय पारित किया जा चुका है इस कारण उक्त आदेश खारिज योग्य है। पुलिस

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर लाईसेन्स निरस्त किया जाना उचित नही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश अपास्त किया जावे। xx

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अपीलांट के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से अनुज्ञाप्तिधारी के पास शस्त्र का होना लोक शांति व लोक सुरक्षा के मध्यनजर उचित नही होने से जेरअपील ओदश से निरस्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायोचित है जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश नही है। अपील खारिज की जावे। xx

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। अपीलांट द्वारा विलम्ब के संबध मे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मे आदेश की जानकारी दिनांक 6.9.2017 को होना उल्लेखित करते हुये उक्त आशय का स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया है ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया। ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट कमांक 5712 दिनांक 5.7.2017 से अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध मुक0 सं0 17/2008 धारा 143, 283, 353 आईपीसी मे दर्ज किया गया जिसमे न्यायालय द्वारा दिनांक 19.2.2014 को 5000 हजार के जमानत मुचलके पर एक वर्ष के लिये पाबन्द कर 350 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने लाईसेन्स नवीनीकरण की अनुशंसा नही की गई जिसके परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 1374/04 को जेरअपील आदेश दिनांक 4.8.2017 से लोक शांति एंव कानून व्यवस्था की दृष्टि से उचित नही मानते हुये निरस्त किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का तर्क है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा रिपोर्ट मे वर्णित तथ्यों पर माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व मे ही विचार किया जाकर प्रकरण रिमांड किया गया था। अपीलार्थी के तर्क के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव जेरअपील निर्णय मे विवेचित तथ्यों के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस न्यायालय के पूर्व रिमांड आदेश की पालना मे अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः पुलिस अधीक्षक बूंदी से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन कर विवेचित आपराधिक प्रकरण के मध्यनजर लाईसेन्स नवीनीकरण किये जाने की अनुशंसा नही किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश पारित किया है। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट मे वर्णित

संभागीय आयुक्त

तथ्यो से अपीलांट के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से लोक शाति व कानून व्यवस्था के मध्य नजर अनुज्ञाप्तिधारी के पास शस्त्र का धारित रहना उचित प्रतीत नही होता है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे पारित जेरअपील आदेश दिनांक 4.8.2017 न्यायोचित प्रतीत होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजांइश नही है। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( एल0एन0सोनी )
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा